Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.
(A Government of Rajasthan Enterprise)
CEU LIGNITE, Barmer

SBU & PC OFFICE :
Khanij Bhawan, 'C' Scheme,
Tilak Marg, JAIPUR-302 005 (Raj.)
Phone : 0141-2227949, 2227938

CEU OFFICE :
RIICO Industrial Area,
BARMER-344001 (Raj.)
Phone : 02982-220473
Fax : 02982- 221117

क्रमांक :– आरएसएमएम / एसएलपी / ठेका / 2020 / 1773 दिनांक:– 14.03.2020

अल्पकालीन निविदा

सोनड़ी लिग्नाईट परियोजना पर अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों के लिए चाय, नाश्ता एवं खाना बनाने एवं बर्तनों को साफ करनें हेतु 01 वर्ष के लिए मोहरबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) सोनडी लिग्नाईट परियोजना पर करीब 20 अधिकारियों एवं कर्मचारीयों के लिए तीन बार सुबह दोपहर एवं शाम को चाय बनाना एक समय नाश्ता एवं दो टाईम खाना बनाना।

(2) बर्तनों को अच्छी तरह से सफाई करनी होगी।

(3) चाय, नाश्ता एवं खाना समय पर तैयार कर देना होगा।

(4) खाना बनाने वाले स्थान के आस पास सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।

(5) खाना बनाने वाले कर्मचारी को स्वंय की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

उपरोक्त शर्तो के आधार पर कार्य का मासिक खर्चे हेतू मोहरबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है निविदाऐं बंद लिफाफे में बाड़मेर कार्यालय को दिनांक 23.03.2020 को सांयकाल 3 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

GNArya 14/3/2020
(जी.एन. आर्य)
ईकाई प्रमुख,
आर.एस.एम.एम.एल., बाड़मेर

प्रतिलिपि :–

(1) वरिष्ठ प्रबन्धक (पी.एण्ड.ए.), जयपुर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) उप प्रबंधक (पी.एण्ड.ए.) को उक्त निविदा को ऑन लाईन अपलोड करने हेतु।

(3) श्री राकेश सौंधिया, उप प्रबंधक (सर्वे) / श्री अशोक कुमार मारू, उप प्रबंधक (भू विज्ञान) / श्री एस.एन.पारीक, वरिष्ठ सहायक :– आप सभी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त समय में उपस्थित रहकर प्राप्त निविदाओं को खोल कर मय दरों का तथ्यात्मक विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे।

(4) सूचनापट्ट, बाड़मेर कार्यालय एवं सोनडी लिग्नाईट खदान।

(5) कार्यालय पत्रावली।

GNArya 14/3/2020
ईकाई प्रमुख,
आर.एस.एम.एम.एल., बाड़मेर

Scanned with CamScanner

सोनड़ी लिग्नाईट परियोजना पर केन्टीन संचालन हेतु नियम व शर्ते

(1) विभाग की ओर से केन्टीन के लिये निविदाकार को केन्टीन का परिसर, बिजली, बर्तन, गैस टंकी, पानी व फर्नीचर निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

(2) सोनडी लिग्नाईट परियोजना पर करीब 20 अधिकारियों एवं कर्मचारीयों के लिए तीन बार सुबह दोपहर एवं शाम को चाय बनाना एक समय नाश्ता एवं दो टाईम खाना बनाना।

(3) निविदाकार के अधीन कार्यरत रसोर्दया, कारीगर अथवा कोई अन्य नौकर 18 वर्ष की उम्र से कम का नहीं होना आवश्यक है।

(4) निविदाकार को चाहिये कि उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति साफ–सुथरे व निरोगी हो। रोगी एवं सवंमित व्यक्ति को केन्टीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(5) खाना बनाने तथा खाना खाने में प्रयुक्त बर्तनों को अच्छी तरह से सफाई करनी होगी।

(6) चाय, नाश्ता एवं खाना समय पर तैयार कर देना होगा।

(7) खाना बनाने वाले स्थान के आस पास सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।

(8) खाना बनाने एवं बर्तन धोने के लिए 02 कार्मिक उपलब्ध करवाने होगें। जिसमें 01 कुशल कार्मिक एवं 1 हेल्पर उपलब्ध करवाना होगा।

(9) निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत नौकरों/कारीगरों का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक हैं।

(10) निविदाकार के अधीन कार्यरत नौकरों / कारीगरों को वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान तथ किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं हैं।

(11) निविदाकार के अधीन कार्यरत नौकरों/कारीगरों के बारे में पूरी जानकारी निविदाकार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।

(12) खाना बनाने वाले कर्मचारी को स्वंय की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

(13) उपरोक्त कार्य का भुगतान मासिक आधार पर संबंधित अधिकारी के प्रमाणीकरण के बाद ही होगा।

(14) मासिक भुगतान पूर्ण प्रमाणित बिलों का प्रत्येक माह की 07 तारीख तक होगा।

(15) खाने बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं बर्तन कम्पनी के द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगे।

(16) उक्त कार्य की कार्यअवधि 12 माह (01 वर्ष)रहेगी।

(17) उक्त कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं पाया जाने पर कम्पनी द्वारा प्रदान कार्यादेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जा सकता हैं।

(18) आवश्यकतानुसार कार्य अवधि को बढाया अथवा घटाया भी जा सकता हैं।

(19) निविदाकार के पास जी.एस.टी. नम्बर होना अनिवार्य हैं। जिसका प्रमाण भी निविदा के समय प्रस्तुत करना होगा।

(20) ईकाई प्रमुख, सी.ई.यू. लिग्नाईट बाड़मेर को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(21) ईकाई प्रमुख, सी.ई.यू. लिग्नाईट बाड़मेर किसी भी दर की निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा।

14/3/2020

Scanned with CamScanner

(22) ठेकेदार को सुव्यवस्थित केन्टिन के लिए स्थान, किचन, फर्नीचर, पानी, रोशनी, हवा, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा तथा खाना बनाने के लिए सामग्री आर.एस. एम.एम.एल. के अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

(23) निविदाकार और विभाग में दोनों के बीच उठे किसी भी मदभेद की स्थिति में ईकाई प्रमुख, आर.एस.एम.एम.एल. बाड़मेर का निर्णय अंतिम व दोनो पक्षों के लिए बाध्य होगा।

(24) निविदाकार आवेदन तिथि में निविदा निर्णय की अवधि में अपनी निविदा वापस लेता है अथवा शर्ते तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो नियम को अधिकारह होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर लें।

(25) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्त्रोत पर कटौती की जावेगी एवं निविदादाता को अपना पेन नंबर लेखा विभाग में देना होगा।

(26) केन्टीन नहीं खोलने के फलस्वरूप प्रतिदिन रूपये 500/— के हिसाब से पेनल्टी के रूप में कटौती मासिक बिल में से की जावेगी।

(27) निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत मासिक भुगतान बिलों में जी.एस.टी. जोड कर प्रदान करना होगा तथा जी.एस.टी. के भुगतान का प्रतिमाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जी.एस.टी. के भुगतान नहीं किये जाने कि स्थिति में भुगतान हेतु प्रस्तुत मासिक बिलों में से कटौती की जायेगी।

(28) निविदाकार को निविदा की धरोहर राशि के तौर पर निविदा की 5प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी।

(29) असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाइ गई तो धरोहर राशि जब्त की जा सकती हैं अथवा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जासकता हैं।

(30) किसी भी प्रकार के हानि / दावा / क्षतिपूर्ति जो ठेकेदार अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

SmArya 14/3/2020

ईकाई प्रमुख,
आर.एस.एम.एम.एल., बाड़मेर

Scanned with CamScanner